भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2850

05 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

vkoklu {ks= esa fxjkoV

2850- Jh vuqeqyk jsoar jsM~Mh%
D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;**Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj us ekuk gS fd ?kj foØsrkvksa ds fy, th,lVh eas deh vkSj dj esa deh ds ckotwn Hkh 2019 dh rhljh foÙkh; frekgh esa vkoklu foØ; esa ,d Hkkjh fxjkoV vkbZ gS(
¼[k½ ;fn gka] rks blds D;k dkj.k gSa(
¼x½ ljdkj }kjk oguh; vkoklu dh ekax dh o`f) djus ds fy, fdu dneksa dks mBkus dh ;kstuk cuk jgh gS(vkSj
¼?k½ gSnjkckn tSls lokZfèkd izHkkfor 'kgjksa] tgka vkoklu foØ; esa 16 izfr'kr dh fxjkoV vkbZ gS] gsrq ljdkj D;k rRdky mik; djus dh ;kstuk cuk jgh gS\

<u>उत्तर</u>

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क)और(ख) : 'भूमि' एवं 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं । आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवास बिक्री से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करता है ।

(ग)और(घ) : किफायती आवास की मांग को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं । किफायती आवास परियोजना में प्रायॉरिटी सेक्टर लैंडिंग हेतु पात्र आवासीय इकाई की कीमत महानगरों में 28 लाख रू0 से बढ़ाकर 35 लाख रू0 कर दी गई है; गैर महानगरों में 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रू0 कर दी गई है । किफायती आवास पर ब्याज के भार में कमी लाने के लिए प्रायॉरिटी सेक्टर लैंडिंग बकाया का उपयोग करके; किफायती आवास के लिए 2 लाख रू0 की मौजूदा छूट के अतिरिक्त आवास ऋण ब्याज के कारण 1.5 लाख रू0 तक की अतिरिक्त छूट; आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत लाभ पर 100% छूट तक छूट प्राप्त करने का लाभ 31 मार्च, 2020 तक अनुमोदित किफायती आवास

परियोजनाओं तक बढ़ा दिया गया है; और धारा 80-आईबीए के अंतर्गत लाभ की सुविधा प्राप्त करने के लिए किफायती आवास परियोजनाओं के क्षेत्र को महानगरों में 30 से 60 वर्गमी0 और गैर-महानगरीय शहरों में 60 से 90 वर्गमीटर तक बढ़ा दिया गया है।

अवरूद्ध परियोजनाओं के आवास खरीददारों को राहत देने के आशय से केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सस्ते किफायती और मध्य आय वाली आवास परियोजनाओं को अंतिम छोर का वित्त पोषण प्रदान करने हेतु विशेष खिड़की के सृजन का अनुमोदन दिया है , उन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जो निवल-मूल्य सकारात्मक हैं, एक अथवा अधिक वैकल्पिक निवेश निधि (" एआईएफ ") के रूप में, इनमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जो एनपीए के रूप में घोषित कर दी गई हैं अथवा दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही हेतु लंबित हैं ।